प्रेस विज्ञप्ति दिनांक 28.08.2020 जनपद देवरिया

दिनांक 27.08.2020 को पुलिस अधीक्षक देवरिया डा0 श्रीपति मिश्र द्वारा कच्ची शराब के निष्कर्षण एवं विक्रय पर अंकुश लगाने व वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु उनके विरूद्ध जनपद देवरिया मे अभियान चलाया गयाए जिसके क्रम में जनपदीय पुलिस द्वारा त्वरित कार्यवाही किया गयाए जिसके परिप्रेक्ष्य में-

01.कच्ची शराब के विरूध्द अभियानः-

दिनांक 16.08.2020 से कच्ची शराब के विरूद्ध चलाये गये अभियान के क्रम में दिनांक 27.08.2020 को जनपदीय पुलिस द्वारा कुल 16 व्यक्तियों के कब्जे से कुल 130 लीटर अवैध कच्ची शराब व 140 शीशी देशी बण्टी बबली शराब बरामद करते हुए उन्हें गिरफ्तार कर नियमानुसार कार्यवाही किया गया एवं काफी मात्रा में लहन नष्ट किया गया। अभियान जारी है।

02. 06 अपराधियों के विरूद्ध की गयी गैंगेस्टर की कार्यवाही –

पुलिस अधीक्षक देवरिया द्वारा शातिर अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत प्रभारी निरीक्षक कोतवाली द्वारा अवगत कराया गया कि शातिर अभियुक्त 01.अविनाश जायसवाल पुत्र रमाशंकर सा0 महाराजगंज थाना महराजगंज सिवान बिहार। 02.बैजनाथ जायसवाल पुत्र महेश सा0 तमकुही रोड वार्ड 4 थाना सेमरही कुशीनगर। 03.विपुल सिंह पुत्र शिवनाथ सा0 नन्दा नगर थाना शाहपुर गोरखपुर। 04.संजय पासवान उर्फ गोलू पुत्र रामनरेश सा0 खोराबार थाना खोराबार, गारखपुर। 05.अनिकेत शर्मा पुत्र सुरेश ठाकुर सा0 दरगहिया झरना टोला शाहपुर गोरखपुर। 06.रमाशंकर जायसवाल पुत्र कपिलदेव सा0 व थाना महराजगंज सिवान बिहार। उपरोक्त का एक संगठित गिरोह है। ये सभी अपने आर्थिक एवं भौतिक लाभ हेतु गैंग बनाकर अपराध कारित करना इनका पेशा है। इस सम्बन्ध में थाना कोतवाली में अपराध धारा 3(1) उ0प्र0 गैंगेस्टर अधिनियम 1986 के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत कर विवेचना की जा रही है।

03. निरोधात्मक कार्यवाही-

दिनांक 27.08.2020 को देवरिया पुलिस द्वारा चलाये गये अभियान में जनपद के विभिन्न थानों द्वारा निरोधात्मक कार्यवाही की गयी, जिनका विवरण निम्नवत है-

➡जनपदीय पुलिस द्वारा 151 सीआरपीसी के अन्तर्गत 22 व्यक्तियों के विरूद्ध कार्यवाही किया गया।

➡जनपदीय पुलिस द्वारा 04 व्यक्तियों के विरूद्ध 3/4 गुण्डा अधि0 के अन्तर्गत कार्यवाही किया गया।

04. जनपदीय पुलिस द्वारा मोटर वाहन अधिनियम में कार्यवाही-

दिनांक 27.08.2020 को जनपदीय पुलिस द्वारा शातिर अपराधियों संदिग्ध व्यक्तियों, संदिग्ध वाहनों के विरूद्ध चेकिंग अभियान चलाया गया, जिसके परिप्रेक्ष्य में जनपद के विभिन्न थानों की पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही का विवरण निम्नवत है-

➡ वाहन चेकिंग के दौरान 418 वाहनों से 279800 रूपये शमन शुल्क (ई-चालान) किया गया।